

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....भोपालखेड़ा.....

दिनांक :- 16/5/23


-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कपासन व भू-अभिलेख निरीक्षक कपासन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 120, 127, 128 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भोपालखेड़ा	120	लौभचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/20 जाति चमार	लौभचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/20 जाति जटिया
2	भोपालखेड़ा	127	लौभचन्द पुत्र चैनराम हिस्सा 1/45 जाति चमार	लौभचन्द पुत्र चैनराम हिस्सा 1/45 जाति जटिया
3	भोपालखेड़ा	128	लौभचन्द पुत्र चैनराम हिस्सा 1/45 जाति चमार	लौभचन्द पुत्र चैनराम हिस्सा 1/45 जाति जटिया

क्रमांक/संभ/33

दिनांक
16/05/2023

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक /
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर सालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लौभचन्द पुत्र चैनराम जटिया
3. रक्षित पत्रावली।

को सूचनार्थ।

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक जिला-चित्तौड़गढ़